

(b.) The news-item referred to relates to a loan application of a resident of Sultanpur District (Uttar Pradesh) for acquiring a new truck with the financial assistance from Bank of Baroda branch at Sultanpur (Uttar Pradesh).

(c) Bank of Baroda which considered the application has reported that the project was not economically viable and could not be considered favorably.

Promotion of senior regional manager, Food Corporation of India, Punjab region

21Q6. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the PRIME MINISTER be pleased: to state;

(a) whether an I. A. S. officer at present Senior Regional Manager, Food Corporation of India, Punjab Region, is due for promotion in normal course;

(h) if s, th. s details thereof;

(c) whether Government are aware that with 3 view to continue on the present post the said official has refused promotion; " and

if so, the details thereof and the reasons therefor in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) No, Sir.

(b) to (d). Do not arise.

स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर द्वारा विदेश व्यापार हेतु अग्रिम की सुविधाएं

2107. श्री कलाशपति मिश्र : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर की दिल्ली शाखा ने विदेश व्यापार के तहत कुछ फर्मों को लगभग एक करोड़ रुपये के अग्रिम की सुविधा दी थी,

(ख) यदि हां, तो इसकी बड़ी रकम अथवा अग्रिम राशि की वसूली न किए जाने के क्या कारण हैं, और

(ग) बैंक द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर ने सूचित किया है कि उसकी चांदनी चौक शाखा ने दो आयातकों की ओर से कुछ प्रत्यय पत्र खोलने की अनुमति दी थी। आयातकों द्वारा प्रत्यय पत्रों से संबंधित दस्तावेज समय पर नहीं छुड़ाए गए। उक्त प्रत्यय पत्रों के अन्तर्गत आयातित कुछ माल बम्बई बन्दरगाह पर पड़ा है क्योंकि माल छुड़वाने के लिए आयात-निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक द्वारा निर्धारित कुछ शर्तें पूरी नहीं की गई। परिणाम-स्वरूप 30 जून, 1986 को इन प्रत्यय पत्रों के कुल 76.98 लाख रुपये की रकम बकाया थी। चूंकि स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर को आने वाली रकमों की वसूली के प्रयासों में सफलता नहीं मिली इसलिए वह आयातकों/निर्यातकों के विरुद्ध सिविल मुकदमों दापर करने की व्यवस्था कर रहा है। बैंक ने कर्मचारियों की तरफ से हुई त्रुटियों की भी जांच की है। दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बैंक द्वारा स्टाफ से प्राप्त स्पष्टीकरणों की जांच की जा रही है।

2108. [Transferred to the 8th May, 1987]

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया की राजकोट शाखा द्वारा दिया गया ऋण

2109. श्री रामसिंहसाई पातलीया-भाई राठवा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यापार/कार्य करने के लिए अनेक व्यक्तियों ने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया की राजकोट शाखा से ऋण प्राप्त किया था लेकिन